ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004

अभिषद् की अत्यावश्यक बैठक दिनांक 19.12.2021 का कार्यवृत्त

समयः– 11:30 बजे पूर्वाह्न।
स्थानः– कुलपति के आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष।
उपस्थितिः–

1.	प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 डॉली सिन्हा, प्रति–कुलपति	–	सदस्य
3.	डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
4.	प्रो0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
5.	प्रो0 विजय कुमार यादव	–	सदस्य
6.	डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
7.	प्रो0 अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
8.	प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र	–	सदस्य
9.	डॉ0 जय शंकर प्रसाद, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
10.	डॉ0 आनंद मोहन झा, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
11.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
12.	डॉ0 धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
13.	डॉ0 राजेन्द्र साह, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
14.	डॉ0 एच0सी0 झा, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
15.	डॉ0 अमर कुमार	–	सदस्य
16.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
17.	डॉ0 विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
18.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
19.	डॉ0 गोपालजी ठाकुर	–	सदस्य
20.	श्री कैलाश राम, वितीय परामर्शी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	–	सचिव

कुलसचिव ने सूचित किया कि आज की बैठक के लिए गणपूर्त्ति पूरी हो चुकी है, इसलिये माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाय। कुलपति–सह–अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कुलसचिव–सह–सचिव सभी आगत सम्मनित सदस्यों का स्वागत करते हुए आज की बैठक की आवश्यकता को रेखांकित किया। **डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी** ने विगत चार महीनें से पेंशन/वेतन भुगतान नहीं होने के बिन्दु पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिस पर अध्यक्ष ने नियमन देते हुए कहा कि मामला सरकार से संबंधित है, इसलिये इस बात से सरकार को अवगत कराया जायेगा। **प्रो0 विनोद कुमार चौधरी** ने कहा कि चूँकि वे बीमार हैं इसलिये अधिक देर तक नहीं रूक सकते। उन्होंने कार्यसूची के सभी मदों पर अपनी सहमति देते हुए कहा कि सभी प्रस्तावों पर मेरा अनुमोदन है।

अध्यक्ष ने सदन में नये सदस्य का, विश्वविद्यालय को उनके सहयोग के लिए, हार्दिक अभिन्दन का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। सदन ने यह भी पारित किया कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति–सह–सदन के अध्यक्ष प्रो0 एस0पी0 सिंह को **"प्रदेश के सर्वोत्तम**

कुलपति का पुरस्कार'' प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को यह सदन धन्यवाद ज्ञापित करती है।

श्री सुजीत पासवान एवं प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र ने एन0सी0सी0एफ0 का मामला उठाते हुए कहा कि डाटा सेंटर बंद है और अस्सी हजार छात्र/छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिये डाटा सेंटर शीघ्र चालू किया जाय। अध्यक्ष ने सूचित किया कि एन0सी0सी0एफ0 द्वारा विश्वविद्यालय को ब्लैकमेल करने की नीयत से सेंटर को बंद कर दिया गया है और इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया गया है। विश्वविद्यालय ने माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा है और शीघ्र निपटारे की आशा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को कैसे निपटाया जाय इस पर सदन विचार करें। **सदन में मामले पर विचार करते हुए निम्नांकित सदस्यों की समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया जो इस मामले के शीघ्र निपटारे हेतु बैठक एवं विचार विमर्श कर छात्र हित में आवश्यक कदम उठायेगी :–**

<u>समिति</u>

1. **श्री सुजीत कुमार पासवान, अभिषद् सदस्य**
2. **प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र, अभिषद् सदस्य**
3. **डॉ0 अमर कुमार, अभिषद् सदस्य**
4. **प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी, अभिषद् सदस्य**
5. **प्रो0 अजय नाथ झा, अभिषद् सदस्य**
6. **डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी, अभिषद् सदस्य**
7. **प्रो0 मुश्ताक अहमद, कुलसचिव – संयोजक**

माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ0 गोपालजी ठाकुर, माननीय सांसद के आगमन पर कुलपति ने पाग, चादर एवं पुष्प माला से उनका स्वागत किया। कुलसचिव ने डॉ0 ठाकुर का स्वागत करते हुए निवर्तमान अभिषद् सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक को भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 10.12.2020 एवं 09.12.2021 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णयः **सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 28.11.2020 और 10.12.2020 के अनुपालन पर विचार।
निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुपालन–प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया।**

मद सं0 3. विद्वत परिषद् की गत बैठक दिनांक 19.06.2021 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 4. वित्त समिति की बैठक 06.11.2020, 23.03.2021, 14.07.2021, 04.09.2021, 08.10.2021, 29.10.2021 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः **इस पर विचार के क्रम में प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र द्वारा स्वीकृति पर असहमति व्यक्त करने पर आसन द्वारा कहा गया कि यदि माननीय सदस्य को किसी बिन्दु पर अथवा किसी मामले में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत हेाती हो तो उसे इंगित करें तथा उनके आपति के बिन्दु की जाँच करा ली जायेगी। किन्तु सदस्य द्वारा ऐसा कोई मामला इंगित नहीं करने पर सदन ने कार्यवृत्तों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।**

मद सं0 5. महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 6. To consider approval of the proceedings of the 1st and 2nd IGG Managing Council dated 11.02.2020 and 19.01.2021.
निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 7. डॉ0 योगेन्द्र पाण्डेय, सहायक प्रोफेसर, गणित विभाग, आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल, मधुबनी तथा डॉ0 प्रतिभा पटेल, सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, आर0बी0 कॉलेज, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को दो वर्षों के ग्रहणाधिकार सह असाधरण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 8. डॉ0 विनोद बिहारी सण्डवार, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का चिकित्सीय कारण से समय पूर्व सेवा निवृति सम्बन्धी आवेदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 9. अभिषद् की बैठक सं0 03/20 दिनांक 28.11.2020 के अन्यान्य मद सं0 03 के निर्णयानुसार संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर में जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में शासी निकाय को भंग कर तदर्थ– समिति गठित किये जाने के मामले पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 10. डॉ0 राज किशोर राम, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, आर0बी0 कॉलेज, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को दिनांक 27.11.2020 से दो वर्षों के ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 11. कालिदास विद्यालय साइन्स कॉलेज, के संस्थापक स्व0 भोगेन्द्र झा के प्रतिमा का महाविद्यालय प्रांगण में स्थापित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि यदि पूर्व में कोई ऐसा प्रस्ताव किसी महाविद्यालय से प्राप्त हुआ हो तो इस प्रसंग में संबंधित महाविद्यालय के विकास समिति की अनुशंसा एवं महाविद्यालय के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया जाता है।**

मद सं0 12. डॉ0 गीतेन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत, चिकित्सा पदाधिकारी, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को संविदा के आधार पर नियोजन के कारण मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि सेवानिवृत्ति के बाद डॉ0 गीतेन्द्र ठाकुर, चिकित्सा पदाधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर रखने संबंधी आदेश को अनुमोदित किया जाता है एवं मानदेय की राशि संविदा पर योगदान की तिथि से रूपये 50,000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि संविदा पर इनकी सेवा राज्य सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही ली जा सकेगी।**

यह भी निर्णय हुआ कि विश्वविद्यालय हित में विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केन्द्र जिसे राज्य सरकार ने मरणशील घोषित कर दिया है, को पुनर्जीवित करने एवं चालू रखने के लिए यह सदन सर्वसम्मति से राज्य सरकार से अनुरोध करने के लिए कुलपति को अधिकृत करती है।

मद सं0 13. अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 23.01.2021 की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय ज्ञापांक – C/DR-II/1842-912/21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अनुकम्पा पर नियुक्त 30 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की अभिषद् से घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **इस पर विचार के क्रम में श्री सुजीत पासवान एवं प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र द्वारा स्वीकृति पर असहमति व्यक्त करने पर आसन द्वारा कहा गया कि यदि माननीय सदस्य को किसी बिन्दु पर अथवा किसी मामले में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत होती हो तो उसे इंगित करें तथा उनके आपति के बिन्दु की जाँच करा ली जायेगी। किन्तु सदस्य द्वारा ऐसा कोई मामला इंगित नहीं करने पर सदन ने कार्यवृत्तों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।**

मद सं0 14. To consider post- facto approval of appointments of 28 Non-teaching employees in class-III & IV made vide notification memo no. SC/166/2021, dated 04-04-2021 on recommendation of the Compassionate Committee meeting dated 06-04-2021.

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 15. प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.03.2021 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **इस पर विचार के क्रम में प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र द्वारा स्वीकृति पर असहमति व्यक्त करने पर आसन द्वारा कहा गया कि यदि माननीय सदस्य को किसी बिन्दु पर अथवा किसी मामले में**

किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत होती हो तो उसे इंगित करें तथा उनके आपति के बिन्दु की जाँच करा ली जायेगी। किन्तु सदस्य द्वारा ऐसा कोई मामला इंगित नहीं करने पर सदन ने कार्यवृत्तों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।

मद सं0 16. परीक्षा परिषद् की कार्यवाही तिथिवार 27.11.2020, 05.12.2020, 09.12.2020, 04.01.2021, 22.01.2021, 19.02.2021, 23.03.2021, 19.06.2021, 27.07.2021, 12.08.2021 एवं 17.09.2021 में हुए निर्णय को अभिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु उपस्थापित।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 17. नामांकन समिति की बैठक दिनांक – 30.09.2020, 09.03.2021, 26.03.2021, 24.07.2021, 02.09.2021 एवं 29.10.2021 की बैठक की कार्यवृत्त अभिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 18. जानकी देवी गौड़ीशंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय, जयनगर, मधुबनी में दान–दाता सदस्य घोषित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 19. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा सम्पन्न सलाहकार समिति की 90, 91, 92 एवं 93वीं बैठक की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 20. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों को बन्द करने एवं लम्बित भुगतान हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन एवं सलाहकार समिति की 99वीं बैठक, दिनांक 26.02.2021 के मद संख्या 99.10 के द्वारा पारित निर्णय पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 21. राज्यपाल सचिवालय के ज्ञापांक – एल0एन0एम0यू0– 01/2021–251/रा.स., दिनांक– 22.02.2021 के आलोक में विभिन्न मुद्रक/आपूर्तिकर्त्ता के लंबित भुगतान के अनुमोदन के प्रश्न पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 22. To consider the recommendation made in the meeting of the "Approval, Seniority and Pay Fixation Committee" held on 13.04.2021 & 08.12.2021 for approval of the Syndicate.

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 23. To consider the period of absence of Dr. Ashok Kumar Jha, Deptt. of Chemistry, C.M. Sc. College, Darbhanga from 09.02.2016 to 27.04.2017.

निर्णयः निर्णय लिया गया कि चूँकि मामला बहुत उलझाा हुआ है इसलिये इसे जाँच कर पूरे तथ्यों, नियमों, अभिलेखों एवं अनुशंसा सहित आगे की बैठक में रखा जायेगा ताकि नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।

मद सं0 24. पुस्तकालय समिति की बैठक दिनांक 08.03.2021 एवं 29.06.2021 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 25. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 26. महात्मा गाँधी महाविद्यालय, दरभंगा के दान–दाता सदस्य घोषित करने संबंधी कुलपति के आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 27. श्रीमती दिव्या झा, सहायक प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा को अध्ययनावकाश समिति की बैठक दिनांक 06.10.2021 में लिए गए निर्णय के आलोक में 10 माह 21 दिनों का स्वीकृत अध्ययनावकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 28. डॉ0 घनश्याम राय, एसोसिएट प्रोफेसर विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभाग को राजभवन पटना के ज्ञापांक BSU-27/2017-1322/GS(1) दिनांक 17.08.2021 के आलोक में नालन्दा खुला विश्वविद्यालय पटना में कुलसचिव के पद पर योगदान हेतु दिनांक 19.08.2021 से तीन वर्षो का स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 29. डॉ0 सैयद शौकत अली, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, ए0एन0डी0 कॉलेज शाहपुरपटोरी समस्तीपुर को पूर्व में स्वीकृत ग्रहणाधिकार के दो वर्षों की अवधि पूरा होने के उपरान्त पुनः 25.06.2021 से 31.12.2021 तक अभिषद् के अनुमोदन के प्रत्याशा में स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 30. लूटन झा महाविद्यालय, ननौर, मधुबनी के दान–दाता सदस्य घोषित करने संबंधी कुलपति के आदेश की धटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 31. विश्वविद्यालय चयन समिति के अनुशंसाओं के आलोक में विश्वविद्यालय के विभिन्न ज्ञापांको द्वारा चार विषयों (यथा – भौतिकी, जन्तुविज्ञान, समाजशास्त्र एवं उर्दू) में कुल 21 शिक्षकों को दिये गये प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 32. छात्रावास एवं कल्याण समिति की बैठक दिनांक 29.10.2021 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 33. अनुमोदन वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.09.2021 का कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 34. Sanction of Extra Ordinary Leave without pay to Ms. Meenu Kumari, Assistant Professor, Commerce, C.M. College, Darbhanga for consideration and approval of Syndicate.

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 35. श्री संदीप कुर्मी, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, बी0एम0ए0 कॉलेज, बहेड़ी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा दिये गए त्यागपत्र को अभिषद् में स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अतिरिक्त मद सं0 1. विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अतिरिक्त मद सं0 2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.12.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अतिरिक्त मद सं0 3. पद सृजन, अन्तर्लीनिकरण एवं सेवा सम्पुश्टि समिति की बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

अतिरिक्त मद सं0 4. डॉ0 मो0 शाहिद जफर, सेवा–निवृत, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा–सह–पूर्व पेंशन पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के आवेदन दिनांक–02.11.2021 जो उनके पेंशन भुगतान पर लगाए गये रोक को हटाने के सम्बंन्ध में है, पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से मामले की जाँच कर निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।**

अतिरिक्त मद सं0 5. डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद की बैठक दिनांक–13.07.2021 में की गयी अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 6. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार समिति के 100वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 के मद सं0 100.09 के आलोक में लिए गए निर्णय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में पूर्व से आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों की सेवा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 7. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार समिति के 100वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 के मद सं0 100.18 के आलोक में लिए गए निर्णय के अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत श्री आनन्द मोहन को पी–एच0डी0 कोर्स में नामांकन हेतु निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 8. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार समिति के 100वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 के मद सं0 100.16 के आलोक में लिए गए निर्णय के तहत बी0एड0 (नियमित) में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका सुश्री मुक्तामणि को सेवामुक्ति आदेश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 9. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार समिति की 100वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 के मद सं0 100.19 के आलोक में लिए गए निर्णय के अन्तर्गत के अनुपालन हेतु बी.एड. (नियमित) हेतु अर्न्तवीक्षा में चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में संबंधित सूची पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 10. To review decision in case of Dr. Umesh Prasad Singh, Assistant Professor, Department of English, D.B. College, Jaynagar, Madhubani to clear whether absence period may be considered as break in service or not? Else the period of absence of Dr. Singh from 08.09.2003 to 12.12.2019 may be considered as Extra Ordinary leave without pay. A clear cut decision may be taken for the period of unauthorized absence of Dr. Singh from 08-09-2003 to 12.12.2019 for all purpose.

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले की जाँच करा कर निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त मद सं0 11. To review decision in case of Dr. Bihari Lal Gupta, Assistant Professor, Department of Zoology, J.K. College, Biraul, Darbhanga to clear whether absence period may be considered as break in service or not? Else the period of absence of Dr. Gupta from 17.04.2021 to 16.02.2012 may be considered as Extra Ordinary leave without pay. A clear cut decision may be taken for the period of unauthorized absence of Dr. Gupta from 17.04.2001 to 16.02.2012 for all purpose.

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले की जाँच करा कर निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त मद सं0 12. To take decision in case of unauthorized absence of Dr. Iftekhar Ahmad, Retd. Assistant Professor, Department of English, U.P. College, Pusa, Samastipur from 06.10.2004 to 09.10.2015 whether absence period may be considered as break in service or not? Else the period of absence of Dr. Ahmad from 06.10.2004 to 09.10.2015 may be considered as Extra Ordinary leave without pay. A clear cut decision may be taken for the period of

unauthorized absence of Dr. Ahmad from 06.10.2004 to 09.10.2015 for all purposes.

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मामले की जाँच करा कर निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त मद सं0 13. अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 18.12.2021 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 1. अध्यक्ष द्वारा सूचित किये जाने पर कि पूर्व कुलपति प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह के कार्यकाल के विभिन्न बिन्दुओं पर राजभवन के जाँच समिति की रिपोर्ट राजभवन के पत्रांक विविध – 11/2019–1958/रा0स0 (1) दिनांक 08.12.2021 एवं पत्रांक एल0एन0एम0यू0 – 06/2020–1976/रा0स0(1) दिनांक 10.12.2021 के द्वारा प्राप्त हो गई हैं और इन पर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन राजभवन में प्रेषित की जानी है, के बिन्दु पर विचार करते हुए सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस पर यथावश्यक कार्रवाई हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अन्यान्य मद सं0 2. अध्यक्ष द्वारा सूचित किये जाने पर कि पूर्व कुलपति प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह के कार्यकाल में "स्कूल गुरू" के साथ हुए करार, को तोड़कर भेन्डर के साथ वार्त्ता के माध्यम से मामले का निपटारा किया गया था। किन्तु, भेन्डर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है। इस पर विचार करते हुए सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस पर यथावश्यक कार्रवाई हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अन्यान्य मद सं0 3. डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी के प्रस्ताव कि संत कबिर महाविद्यालय, समस्तीपुर के कई दाताओं के संबंध में कोई रेकार्ड नहीं है तो एक जाँच समिति बनाकर जिन दाताओं के संबंध में दस्तावेज नहीं मिलते हैं उनकी दाता संबंधी अधिसूचना रद्द कर दी जाय, को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 4. लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय, दरभंगा में शिक्षकों की वरीयता संबंधी अधिसूचना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 5. श्रीमती मीना कुमारी एवं श्री लक्ष्मेश्वर राय के प्रस्ताव की विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे बी0एड0 कोर्स के शिक्षकों के पारिश्रमिक में भिन्नता है, सदन को सूचित किया गया कि इस बिन्दु पर पूर्व में ही समिति गठित है और मामला प्रक्रियाधीन है।

अन्यान्य मद सं0 6. श्री लक्ष्मेश्वर राय ने प्रस्ताव रखा कि जिन महाविद्यालयों में मूर्त्तियाँ लगी हुई है उनमें जाँच करवाई जाय कि कितने में विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

अन्यान्य मद सं0 7. कुलपति ने परिसर में माहाराजाधिराज डॉ0 सर कामेश्वर सिंह के मूर्त्ति को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 8. श्री सुजीत पासवान ने संबंद्ध महाविद्यालयों में हुई शिक्षक नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं होने का प्रश्न उठाया जिस पर कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि सरकार के द्वारा आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पोर्टल पर 15 जनवरी तक प्रतिवर्ष अपलोड करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। पूर्व में महाविद्यालयों ने शायद न किया हो, अब आरक्षण का पालन अनिवार्य हो गया है। विश्वविद्यालय ने प्रत्येक संबंधन प्रस्ताव पर आरक्षण का पालन करने की शर्त लगाई है और लगा रही है।

अन्यान्य मद सं0 9. प्रो0 अशोक कुमार मेहता के प्रस्ताव कि जिन अंगीभूत महाविद्यालयों में बिना विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति लिये किसी अन्य विश्वविद्यालयों का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र खोला गया हो, उनके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जाय, को ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 10. माननीय डॉ0 गोपालजी ठाकुर के प्रस्ताव कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को विश्वविद्यालय स्तर पर रखने संबंधी पूर्व निर्णय पर कार्यवाही की जाय, अध्यक्ष ने सूचित किया कि पूर्व

के भेन्डर का कोई टेन्डर हुआ था अथवा नहीं, यह जानकारी नहीं है। इस प्रसंग में नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

अन्यान्य मद सं0 11. श्रीमती मीना कुमारी एवं प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी के प्रस्ताव कि बहुद्देशीय भवन से विश्वविद्यालय को रेभेन्यू आता है इसलिये आवश्यक मरम्मती कर उसे सुसज्जित किया जाय, साथ ही एल0एन0मूटा0 कार्यालय का जीर्णोद्धार अबिलम्ब कराया जाय, पर भू–सम्पदा पदाधिकारी को आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं0 12. प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी का प्रस्ताव कि नरगौना स्थित स्नातकोत्तर विभागों के भवन में पूर्व से उपलब्ध लिफ्ट को चालू कराया जाय, पर सूचित किया गया कि इसकी जाँच अभियंता से करा कर ठीक होने की सम्भावना तलाशी जायेगी।

अन्यान्य मद सं0 13. माननीय डॉ0 गोपालजी ठाकुर के प्रस्ताव कि राज मैदान को अन्तर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाने के लिए प्रयास किये जाएँ, को ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 14. माननीय डॉ0 गोपालजी ठाकुर के प्रस्ताव कि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध जमीन का सीमांकन एक टीम गठित कर इसके माध्यम से कराया जाय, को ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 15. माननीय डॉ0 गोपालजी ठाकुर के प्रस्ताव कि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्त्तित करने हेतु प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ाया जाय, को ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय हुआ कि प्रतिकुलपति महोदया की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अन्यान्य मद सं0 16. माननीय डॉ0 गोपालजी ठाकुर के प्रस्ताव कि कबड़ाघाट स्थित मिथिला शोध संस्थान के पास लगभग बासठ एकड़ जमीन एवं बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें उच्च कोटि की पुस्तकें, शोध–ग्रंथ तथा पाण्डु लिपियाँ हैं, इसलिये छात्र एवं शिक्षक हित में इसे इस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाय। यह सूचित करने पर कि उक्त संस्थान पूर्णतः सरकारी है और इसे इस विश्वविद्यालय के अधीन नहीं किया जा सकता, निर्णय लिया गया कि उक्त समृद्ध पुस्तकालय का लाभ शिक्षक एवं छात्रों को मिले, इसके लिये वरिष्ठ शिक्षकों की एक समिति उक्त संस्थान का दौरा कर संभावना तलाशे।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव–सह–सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का उनकी सहभागिता, चर्चा–परिचर्चा, सुझाव, खासकर माननीय सांसद द्वारा दिये गये सुझाव जो न मात्र इस विश्वविद्यालय को बल्कि पूरे मिथिला को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने से संबंधित है, के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
(प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह0/–
(प्रो0 मुश्ताक अहमद)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांकः– UB-637/21.

दिनांकः– 19-12-2021.

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **सचिव, उच्च शिक्षा,** बिहार, पटना;
3. **निदेशक, उच्च शिक्षा,** बिहार, पटना;
4. **उप–सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. **सभी पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. **कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

19.12.21
कुलसचिव